बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक – ....

सख्या :– 5 नि०गो०वि० (1) 18/2020 – .... डा० संजय कुमार कौशिक, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध मुख्यतः प्रथम वर्गीय पशु चिकित्यालय, बाजपट्टी, सीतामढ़ी में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 09.12.20219 से 06.07.2020 तक अपने कर्त्तव्य से ज्यादातर अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप के लिए आरोप–पत्र गठित की गयी।

उक्त गठित आरोप–पत्र के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या 22 नि०गो०, दिनांक 16.01.2024 के द्वारा द्वारा डा० कौशिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसके लिए निदेशक, पशुपालन जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये गये। विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–05 (निदे० को०), दिनांक 10.01.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें निष्कर्ष के तौर पर यह अंकित किया गया कि " आरोपी पदाधिकारी डा० संजय कुमार कौशिक, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में मुख्य आरोप डा० कौशिक के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बाजपट्टी, सीतामढ़ी में प्रतिनियुक्त अवधि दिनांक 09.12.2019 से 06.07.2020 अपने कर्त्तव्य से ज्यादातर अनुपस्थित रहने से संबंधित है। आरोप का मुख्य आधार तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रेषित डा० कौशिक का अनुपस्थिति प्रतिवेदन है, जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया है कि डा० कौशिक दिनांक 09.12.2019 से जून 2020 तक की अवधि में मात्र 03 दिन ही उपस्थित रहें है। इसके अतिरिक्त डा० कौशिक द्वारा उसे गलत और असत्य बताते हुए उक्त अवधि के वेतन भुगतान प्राप्त करने के अनुरोध पर सम्पूर्ण मामलें की विस्तृत जाँच क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मुजफ्फरपुर के अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जाँच दल के प्रतिवेदन में डा० कौशिक द्वारा माह जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि का समेकित शुल्क दिनांक 04.07.2020 को जमा किये जाने के फलस्वरूप उनके पूर्ण उपस्थिति पर संदेह उत्पन्न अंकित किया गया है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षोपरांत डा० संजय कुमार कौशिक के वेतन भुगतान किये जाने संबंधी अनुरोध अस्वीकृत किया जा चुका है। डा० कौशिक द्वारा उक्त मामले को बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के तहत मामले को लाया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2023 को पारित आदेश द्वारा डा० कौशिक के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है।

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में विभिन्न तिथियों को की गयी सुनवाई, आरोपी पदाधिकारी का लिखित अभिकथन, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का लिखित मंतव्य तथा अन्य तथ्यों के समीक्षोपरांत निष्कर्ष के रूप में अंकित है कि आरोप से भिन्न तथ्यों का प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में विचार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। साथ ही कोरोना काल को देखते हुए एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा समेकित शुल्क जमा करने संबंधी सामान्यतः प्रचलन व्यवस्था प्रतिवेदित किये जाने के आधार पर मात्र जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि का समेकित शुल्क दिनांक 04.07.2020 को जमा किया जाना को दिनांक 09.12.2019 से 06.07.2020 तक के लिए अनाधिकृत अनुपस्थिति का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है।

जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पश्चात् उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित/अप्रमाणित होने संबंधी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए पुनः निदेशक, पशुपालन–सह–जाँच पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य की मांग विभागीय पत्रांक 109 नि०गो०, दिनांक 06.03.2025 द्वारा की गयी, जिसके अनुपालन में निदेशक, पशुपालन के द्वारा पत्रांक 17 (निदे० को०), दिनांक 21.03.2025 से समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से डा० कौशिक के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 18 (3) में वर्णित प्रावधान के तहत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए डा० कौशिक को चेतावनी के साथ गठित आरोप से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा० संजय कुमार कौशिक, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर को चेतावनी के साथ गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 नि०गो०वि० (1) 18/2020................................../ पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 02/ डा० संजय कुमार कौशिक, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 नि०गो०वि० (1) 18/2020...170 नि०गो०वि०/ पटना–15, दिनांक – 07/04/2025

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

6